

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

पोमेछा/2025-26/ 307

दिनांक 02/06/2025

आवश्यक सूचना

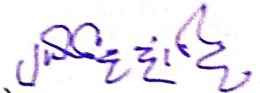
04 JUN 2025

विषय :- वर्ष 2024-25 के पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करने बाबद।

संस्थान के निम्नलिखित अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों द्वारा वर्ष 2024-25 के पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन तो पोर्टल पर ऑन-लाईन भर दीये गये किंतु उसकी हार्ड कापी आवश्यक दस्तावेजों सहित छात्रवृत्ति विभाग में जमा नहीं की गयी :-

क्र	विद्यार्थी का नाम	ब्रांच	इन्वोल्वमेंट नम्बर
1	SUNIL MOGIYA	I YEAR EI	0801EI241099
2	KRISHNA DHURVE	I YEAR CE	0801CE241052
3	SAMEER THAKUR	I YEAR EE	0801EE241094
4	YASH JARMAN	I YEAR EE	0801EE241116
5	TRAPTI TUMRALI	I YEAR M.TECH	
6	VIKASH RATHI	I YEAR M.TECH	
7	ARPIT SOLANKI	I YEAR MCS	
8	ROSHAN PANWAR	I YEAR IT	0801IT241116
9	SONAM KOL	II YEAR CS	0801CS243D11
10	AMAN DHURVE	II YEAR EC	0801EC231018
11	APARAJITA KHARTE	III YEAR IT	0801IT221033
12	ANAND BHASKAR	III YEAR IT	0801IT221019
13	DIVYANSH DAWAR	III YEAR CSE	0801CS221053
14	ASHISH SINGARE	III YEAR EE	0801EE221021
15	ARVIND ALAWA	III YEAR EE	0801EE221019
16	KULDEEP SINGH MARKAM	I YEAR B.PHA	0801PY241020
17	SURENDRA WASKEL	I YEAR B.PHA	0801PY241055
18	HIMANSHU CHONGAD	I YEAR B.PHA	0801PY241013

उपरोक्त सभी विद्यार्थी दिनांक 10/06/2025 तक आवश्यक रूप से अपने आवेदन समस्त दस्तावेजों सहित संस्थान के पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति विभाग में जमा करें।


निदेशक

DIRECTOR

Shri G. S. Instt. of Tech. & Sc.
INDORE - 452003 (M.P.)

प्रतिलिपि:-

1) समस्त नोटीस बोर्ड 2) संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

क्रमांक/पीएमएस./114/2025/

11645

प्रति,

कलेक्टर,

समस्त मध्यप्रदेश

विषय - भारत सरकार के निर्देश अनुसार जनजातीय विद्यार्थियों का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) किये जाने के संबंध में।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी जिन्हें केन्द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (वार्षिक पारिवारिक आय-सीमा राशि रूपये 2.50 लाख से कम) का लाभ प्राप्त होता है उन्हें वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य है। विद्यार्थियों द्वारा एक बार OTR नंबर प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात् भविष्य में भी आगामी कक्षाओं में इसी नंबर के आधार पर छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा जिसके लिये पृथक से पुनः OTR की आवश्यकता नहीं होगी।

कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा OTR नंबर प्राप्त करने की प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न होगी (जिसकी प्रक्रिया संलग्न है)। प्रथम चरण में विद्यार्थी को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट से अथवा मोबाइल पर NSP OTR मोबाइल एप डाउनलोड कर उसमें आवश्यक जानकारी दी जाकर रेफरेंस नंबर प्राप्त करना होगा, द्वितीय चरण में NSP OTR App एवं AadharFaceRD services App डाउनलोड कर रेफरेंस नंबर के माध्यम से OTR की प्रक्रिया पूर्ण कर OTR नंबर का प्राप्त करना होगा। MPTAASC पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करते समय OTR नंबर दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त कार्यवाही एक माह की समय-सीमा में पूर्ण की जानी है। विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुये जिलों में समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं -

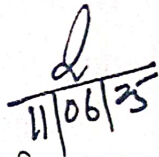
1. समस्त हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्यों, महाविद्यालयों के प्राचार्यों और छात्रावास अधीक्षकों की पृथक-पृथक बैठक आयोजित कर OTR प्रक्रिया की जानकारी दी जाए जिससे विद्यार्थियों को इस प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त हो सके।
2. कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के OTR कराये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। प्रत्येक स्कूल से दो शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए जिनके द्वारा विद्यार्थियों को OTR हेतु मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।
3. प्रत्येक हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में कक्षावार प्रवेशित जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी और उनके OTR नंबर की सूची संधारित की जाएगी जिससे छात्रवृत्ति का आवेदन करते समय OTR प्राप्त करने की समस्या नहीं हो।
4. विभागीय छात्रावासों में प्रवेशित जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के OTR कराये जाने का उत्तरदायित्व छात्रावास अधीक्षक का होगा। छात्रावास अधीक्षक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रोफाइल पंजीयन के साथ-साथ उनका OTR नंबर भी प्रवेश पंजी में संधारित करेंगे।

5. OTR हेतु विद्यार्थी का आधार नंबर, उसके आधार से लिंक मोबाइल नंबर जिस पर OTP प्राप्त होगा और उसका बैंक खाता आधार से लिंक होना (NPCI active) अनिवार्य है। यह जानकारी विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को पूर्व से दी जाए जिससे OTR के समय उन्हें अनावश्यक समस्या का सामना नहीं करना पड़े।
6. जिले में कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक प्रवेशित जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या के मान से OTR की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक समय-सीमा बैठक में की जाए।
7. पत्र के साथ संलग्न OTR प्रक्रिया की प्रतियां प्रत्येक शिक्षण संस्थान एवं छात्रावासों में वितरित की जाएं एवं सूचना पटल पर भी चस्पा की जाए।
8. प्रेस विज्ञापन के माध्यम से OTR के संबंध में विद्यार्थियों एवं पालकों को जागरूक करने की कार्यवाही जिले में की जाए।

कृपया कक्षा 9वीं एवं उससे ऊपर के जनजातीय वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी का OTR 30 जुलाई 2025 से पूर्व कराने का कष्ट करें जिससे छात्रवृत्ति योजनाओं में उन्हें लाभान्वित किया जा सके।

संलग्न:- OTR की संक्षिप्त प्रक्रिया तथा

भारत सरकार द्वारा जारी यूजर मैनुअल।


(श्रीमन् शुक्ला)

आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक/पीएमएस./194/2025/

11646

भोपाल, दिनांक

12/6/25

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. समस्त संभागीय, आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय, उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश